MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Indian Railway Board Act, 1905."

The motion was adopted.

SHRI BHOGENDRA JHA: Sir, I introduce the Bill.

UNIVERSAL COMPULSORY PRIMARY EDUCATION BILL*

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for universal, free and compulsory primary education in India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for universal, free and compulsory primary education in India."

The motion was adopted.

SHRI BHOGENDRA JHA: Sir, I introduce the Bill.

15.50 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Sections* 3, 6*B*, *etc.*) by Shri Mool Chand Daga—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Mool Chand Daga on 18th September, 1981 namely:—

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The time allotted was 2 hours.

We have already taken only two minutes.

We have got a balance of 1 hour and 58 minutes.

MR. Daga was on his legs. He may continue his speech.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार का सब से बड़ा लोकतन्त्र प्रणाली में विश्वास रखने वाला देश भारत है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस देश की सब से बड़ी सर्वोच्च संस्था का सदस्य हूं । यह मेरा सौभाग्य है कि देश के निष्ठावान, कर्मनिष्ठ तथा सेवाभावी लोगों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, जिन्होंने अपनी जिन्दगी को, जिनमें उपाध्यक्ष महोदय आप भी शामिल हैं, देश के प्रति कर्तव्यों की वेदी पर अपने स्वार्थों की बलि दे दी है । जिन्होंने देश के प्रति अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया है । अगर इन लोगों का काम देखा जाय, पहले उधर जो बैठने वाले लोग हैं उनको ले लीजिये, चाहे लोक दल के माननीय सदस्य हों, या किसी और दल के माननीय सदस्य हों, कभी किसानों की समस्याओं को लेकर झूझते हैं, कभी हमारे मजदूर नेता शास्त्री जी मजदूरों की समस्याओं पर अपनी आवाज बुलन्द करते हैं और कभी हम लोग देश के विभिन्न मामलों पर अपनी बात, चाहे विदेशी नीति हो, देश की एकता को कायम रखने वाली बात हो, अपने विचार यहां प्रकट करते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं—इस सदन का हर सदस्य हर वक्त जागरूक और सतर्क रहना चाहता है और रहता है । एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य जज 196 दिन काम किये बिना भी चल सकते हैं, एक सरकारी कर्मचारी जो दिन में 8 घन्टे काम करता है, यदि मन से नहीं करता है तो भी उसके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है हम लोग 18-19 घन्टे लगातार काम करते हैं—इस सम्बन्ध में हमारे स्पीकर महोदय ने अपने भाषण में एक बार कहा था

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-11-1981.